O/C

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Phone/Fax :-05964-234118
Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

पत्रांक:– 780 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / वन भूमि / दिनांक 12-09-2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय:– रीठा से कूण मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक सं0 08 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 36 / 2018 / एफ0सी0 / 619 / दिनांक 03.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि रीठा से कूण मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.94 है0 वन भूमि की गैर वानिकी कार्यो के ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिये भारत सरकार के पत्र संख्या 08 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 36 / 2018 / एफ0सी0 / 619 / दिनांक 03.07.2018 में निहित प्रावधानों द्वारा उल्लेखित की गई शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है।

क0सं0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्ते	कृत कार्यवाही
01	02	03
01	प्रयोक्ता द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 13.880 है0 गूम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्मिलित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानन्तरण एवं नामांतरण किया जायेगा। भूमि का हस्तानन्तरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 303 / 12–1, दिनांक 27.07.18 के अनुपालन में NPV क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा की जाने वाली धनराशि दिनाक 01.09.2018 को जमा की जा चुकी है। जिसकी Online Transaction Acknowledgement तथा Online Payment History संलग्न है।

फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देयक धनराशि		योग
			क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन0पी0वी0	
XV	रीठा से कूण मोटर मार्ग स्टेज–1	चम्पावत	45,59,580.00	38,67,870.00	84,27,450.00

सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामांतरण / हस्तान्तरण जिलाधिकारी चम्पावत के कार्यालय के पत्रांक 4743 सात 5 / [illegible] 2016-17 / दिनांक 14.08.2018 को किया जा चुका है।

संलग्नक –1 2 (13)

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

e/Fax :-05964-234118 Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विन्दु संख्या 01 के अनुसार वॉछित धनराशि जमा की जा चुकी है। संलग्नक -2
03	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाये।	यदि भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा NPV की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो NPV की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यथा समय वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। NPV की वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। संलग्नक -3
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधिया (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर आनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित आन लाईन बैंक में जमा किये जाये, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धातिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी।	सभी निधिया (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर आन लाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित आन लाईन बैंक में जमा की गई है। Online Transaction Acknowledgement तथा Online Payment History संलग्न है। संलग्नक -2
05	सडक निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वाचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों Strip Plantation का कार्य वन विभाग की देख–रेख मे किया जायेगा। Strip Plantation से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक -4

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

e/Fax :-05964-234118 Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

अन्य आवश्यक शर्तों की अनुपालना आख्या निम्न प्रकार है।

	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
	02	03
	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति को किसी भी परिस्थिति मे नहीं बदला जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न। संलग्नक -5
	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 जमा करा दी जायेगी।	एन0पी0जी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 जमा करा दी जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न है। संलग्नक -3
	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक हेतु चयनित 13.880 है0 गूम सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक हेतु चयनित 13.880 है0 गूम सिविल एवं सोयम भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तारित की जा चुकी है। सन् 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को प्रथम से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न। संलग्नक -6
04	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। संलग्नक -7
05	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन-भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back Baring अंकित किया जायेगा।	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के सीमांकन हेतु पिलर का निर्माण कर भूमि का सीमांकन करा लिया जायेगा।
06	निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारो तथा Central Verge पर प्रयोकता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।	उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 6.945 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग के निर्माण के बाद जहाँ-जहाँ संभव होगा सड़क के दोनो किनारे Strip plantation का कार्य वन विभाग कि देख-रेख में किया जायेगा। संलग्नक -4
07	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	निर्माण कार्य के स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति कि जायेगी तथा वन क्षेत्र में कोई हानि नहीं पहुचायी जायेगी। संलग्नक -8
08	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जायेगी।	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी। संलग्नक -9

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

hone/Fax :-05964-234118 Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये परियोजन के अलावा अन्य किसी परियोजन के लिए नहीं किया जायेगा। तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन–भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग मोटर मार्ग के निर्माण के लिए किया जायेगा। इसके अलावा भूमि का उपयोग और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। तथा भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य संस्था एवं विभाग या व्यक्ति के पक्ष में Transfer नहीं किया जायेगा। सलग्नक-10
10	कम–से–कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 304 से अधिक न हो।	मार्ग निर्माण में कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जो आवश्यक हों उन्ही वृक्षों का पातन किया जायेगा जो प्रस्ताव के अनुसार 304 वृक्षों से अधिक नहीं होगा। सलग्नक-11
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयुक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर मलवा नहीं फेंका जायेगा। सलग्नक-12
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	इसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन आवश्यक अनुमति ले ली जायेगी।

तथा भारत सरकार की वाँछना के अनुसार मोटर मार्ग में सी0ए0 हेतु चयनित सिविल भूमि की श्रेणी तथा 1893 की अधिसूचना से आच्छादित तथा संरक्षित वन होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिचांई खण्ड,लोहाघाट

पत्रांकः– /पी0एम0जी0एस0वाई0/वन भूमि/तद्दिनाँक

प्रतिलिपिः–
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ।
2. वन संरक्षक उत्तरी कुमायूँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई
सिचांई खण्ड,लोहाघाट

मास्क का प्रयोग करें।

संलग्नक-1(1)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का

हे0 6.940 X 2 = 13.880 हे0 वृक्षारोपण स्थल सिविल भूमि गूग

	जाने वाले पौधों की संख्या :– 15268 पौधे (1100 पौधे प्रति हे0)			
	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	2	3	4	5
	सर्वे एवं सीमांकन	13.880 हे0	147	2040.36
	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	13.880 हे0	887.00	12311.56
	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 13.880 हे0 = 1165.2 हे0	1165.92 घन मी0	515.00	600448.80
	कन्टेर फरे कार्य (प्रति हे0 600 र0मी0)	13.880 हे0	11.14	154.62
5	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (पूर्ण)	13.880 हे0	11700.000	162396.00
6	गड्ढ खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सैकडा गढढा	15268 गड्ढे	11.14	170085.52
7	निरीक्षण बटिया बनना	13.880 हे0	737.00	10229.56
8	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	13.880 पौधे	8.70	120.76
9	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, खरीदना ,औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	L/S	L/S	150000.00
	योग – प्रथम चरण			**1107787.18**
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	15268 गड्ढे	1.75	26719.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	15268 पौधे	1.75	26719.00
3	पौध ढुलान कार्य	15268 पौधे	10.70	163367.60
4	कन्टेर फरे कार्य (प्रति हे0 600 र0मी0)	13.880 हे0	1.05	14.57
5	पौध रोपण व थालाबन्दी	15268 पौधे	3.13	47788.84
6	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	15268 पौधे	1.15	17558.20
7	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकड़ा पौधा	15268	0.30	4580.40
8	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	13.880 हे0	7235.00	100421.80
9	9.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	सूखे घाट फूस एवं ज्वलनशील पदर्थो का हटाना प्रति हे0	13.880 हे0	350.00	4858.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/धेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	13.880 हे0	225.00	3123.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] वन क्षेत्र

	शिक्षण	13.880 हे0	400.00	5552.00
	त्साहन	13.880 हे0	225.00	3123.00
	य साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, , बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं मेंटेशन आदि कार्य।	13.880 हे0	700.00	9716.00
	य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार खरीदना, ज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	L/S हे0	L/S	132000.00
	योग– द्वितीय चरण			**105000.00**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण	हे0		**1212787.18**
	तृतीय चरण			
	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 X 12/9) =	13.880 हे0	10852.00	150625.76
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	13.880 हे0	350.00	4858.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0	326.70	4534.60
	अ– प्रशिक्षण	13.880 हे0	400.00	5552.00
	ब– प्रोत्साहन	13.880 हे0	290.40	4030.75
	वृक्षारोपण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली जानवरों , आग से जलने, पौधों के सूखने एंव आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधों के स्थान पर नये पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों की कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों की मरम्मत करना आदि	L/S L/S	L/S	126659.00
	योग – तृतीय चरण			**296260.11**
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 12 X 9044/10 = 10852	13.880 हे0	10852.00	150625.76
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	13.880 हे0	350.00	4858.00

...ा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ ...3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ...को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण ...ग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु ...यों/समितियों को प्रोत्साहन देना		13.880 हे0	326.70	4534.60
...प्रशिक्षण		13.880 हे0	400.00	5552.00
...प्रोत्साहन		13.880 हे0	290.40	4030.75
...रोपण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली ...नवरों , आग से जलने, पौधों के सूखने एंव ...पदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधो के स्थान पर ...पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों ...कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल ...रक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों ...की मरम्मत करना आदि	L/S	L/S	L/S	140000.00
योग – चतुर्थ चरण				**309601.11**
पंचम चरण				
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		13.880 हे0	10852.00	150625.76
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0		13.880 हे0	350.00	4858.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना		13.880 हे0	326.70	4534.60
अ– प्रशिक्षण		13.880 हे0	400.00	5552.00
ब– प्रोत्साहन		13.880 हे0	290.40	4030.75
वृक्षारोपण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली जानवरों , आग से जलने, पौधों के सूखने एंव आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधों के स्थान पर नये पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों की कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों की मरम्मत करना आदि	L/S	L/S	L/S	110000.00
योग – पंचम चरण				**279601.11**
षष्टम चरण				
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		13.880 हे0	10852.00	150625.76
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0		13.880 हे0	350.00	4858.00

...अधिकारी
...(वन) क्षेत्र

...ा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ ...3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ... को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण ...ग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु ...यों/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0		326.00	4524.88
...प्रशिक्षण	13.880 हे0		400.00	5552.00
...प्रोत्साहन	13.880 हे0		290.40	4030.75
...रोपण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली ...नवरों, आग से जलने, पौधों के सूखने एंव ...पदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधों के स्थान पर ...ये पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों ...की कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों की मरम्मत करना आदि	L/S	L/S	L/S	125000.00
योग – षष्टम चरण				**294591.39**
सप्तम चरण				
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	13.880 हे0		10852.00	150625.76
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	13.880 हे0		350.00	4858.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0		326.70	4534.60
अ– प्रशिक्षण	13.880 हे0		400.00	5552.00
ब– प्रोत्साहन	13.880 हे0		290.40	4030.75
3 वृक्षारोपण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली जानवरों, आग से जलने, पौधों के सूखने एंव आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधों के स्थान पर नये पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों की कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों की मरम्मत करना आदि	L/S	L/S	L/S	120000.00
योग – सप्तम चरण				**289601.11**
अष्टम चरण				
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	13.880 हे0		10852.00	150625.76
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	13.880 हे0		350.00	4858.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0		326.70	4534.60

दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ) वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण न सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु i/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0	326.00	4524.88
ाशिक्षण	13.880 हे0	400.00	5552.00
ोत्साहन	13.880 हे0	290.40	4030.75
पण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली वरों , आग से जलने, पौधों के सूखने एंव दा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधों के स्थान पर पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल रक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों ही मरम्मत करना आदि	L/S L/S	L/S	125000.00
योग – षष्टम चरण			**294591.39**
सप्तम चरण			
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	13.880 हे0	10852.00	150625.76
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	13.880 हे0	350.00	4858.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0	326.70	4534.60
अ– प्रशिक्षण	13.880 हे0	400.00	5552.00
ब– प्रोत्साहन	13.880 हे0	290.40	4030.75
वृक्षारोपण रोपित किये गये पौधों के सूखने, जंगली जानवरों , आग से जलने, पौधों के सूखने एंव आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए पौधों के स्थान पर नये पौधो का रोपण, थावलाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों की कीमत पौधो को रोपित करना, क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों की मरम्मत करना आदि	L/S L/S	L/S	120000.00
योग – सप्तम चरण			**289601.11**
अष्टम चरण			
रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	13.880 हे0	10852.00	150625.76
2 2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	13.880 हे0	350.00	4858.00
2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	13.880 हे0	326.70	4534.60

...शिक्षण	13.880 हे0		400.00	5552.00
...त्साहन	13.880 हे0		290.40	4030.75
...ण रोपित किये गये पौधों के सूखने, ... जानवरों , आग से जलने, पौधों के ... एंव आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए ... के स्थान पर नये पौधो का रोपण, ...लाबंदी,सूरक्षा दिवार, पौधों की कीमत ... को रोपित करना, क्षेत्र में जल संरक्षण ...र्य करना,रोपण क्षेत्र के आसपास दिवारों ... मरम्मत करना आदि	L/S	L/S	L/S	100000.00
योग – दशम चरण				**269601.11**
कुल योग				**3516245.33**
उपरोक्त प्रचिलत दरें वर्ष 2021–22 की निर्धारित की गयी है। रोपण कार्य वर्ष 2022–23 में किया जा सकता है । दरों में वृद्वि होने के कारण एंव बाजार मूल्य, आदि में वृद्वि होने के कारण धनराशि रु **3516245 X 10 % = 351625**				351625
सम्पूर्ण योग				**3867870**
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल 13.880हे0 है । 13.880*278665 = 3867870				**3867870**

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

...धिकारी
...वन क्षेत्र

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-08-2018

Agency Name.	PMGSY LOHAGHAT
Application No.	6125934638
MoEF/SG File No.	8B/UCPP/06/36/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer PMGSY LohaghatChampawat
Amount(in Rs)	8427450/-

Amount in Words :Eighty-Four Lakh Twenty-Seven Thousand Four Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-08-2018

Agency Name.	PMGSY LOHAGHAT
Application No.	6125934638
MoEF/SG File No.	8B/UCPP/06/36/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer PMGSY Lohaghat Champawat
Amount(in Rs)	8427450/-

Amount in Words :Eighty-Four Lakh Twenty-Seven Thousand Four Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been upload even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to

FP/UK/ROAD/25934/2017 Construction of Reetha To Koon Motor Road Under PMGSY Lohaghat	ROAD2593420176386	125934638	03 Jul 2018	CA: 3867870/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 4559580/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 8427450/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Aug 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 06 Aug 2018 Transaction Date : 01 Sep 2018	Demand Letter Generated Challan	

अवलोकन-2(

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत.
Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 303 /12-1 दिनांक, चम्पावत 27-07-2018।

सेवा में,

अधिशाषी अभियंता,
पी0एम0जी0एस0वाय0, लोहाघाट।

विषयः— जनपद चम्पावत मे रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.94 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे।

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/36/2018/एफ0सी0/619 दि0 03.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त पत्र के उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। उक्त मोटर मार्ग मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क.स.	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन.पी.वी.	6.94 हे0 (ईको क्लास 5, घनत्व 0.2)	657000.00	4559580.0
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	13.88 हे0	278665.00	3867870.00

अतः कृपया उक्त डिमाण्ड नोट आनलाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने कष्ट करे।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

संलग्नक -3

एन0पी0वी0 वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 6.94 है0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार जमा करा दी गयी है। यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यथा समय वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Strip plantation से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

रियोजना का नामः— जनपद चम्पावत में प्रधानमंमी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 6.94 है0 वन—भूमि प्रस्तावित हो रही है। मोटर मार्ग के निर्माण के प श्चात जहाँ—जहाँ संभव होगा सड़क के दोनों किनारे का कार्य वन विभाग की देख—रेख में किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी इस कार्य को करने हेतु वचन बद्ध है।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

वनभूमि की विधिक परिस्थिति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 6.94 है0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण पूर्वपारित समरेखण के अनुसार ही किया जायेगा। तथा वनभूमि की विधिक परिस्थिति को बदला नहीं जायेगा।

ह0   ह0

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत के विकासखण्ड पाटी में जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर के निर्माण हेतु 6.940 है0 वन भूमि का निकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यार्वतन किया गया है। क्त कार्य हेतु जनपद चम्पावत के ग्राम–गूम प0क्षे0 पाटी तहसील पाटी के खाता संख्या श्रेणी–9(3)ड0 बंजर काबिज आवाद के खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0,खेत न0 1887. वा 6.041 मध्ये 5.84 है0 कुल 13.88 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को तांतरित की गयी है। सन् 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा क्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने क आवश्यकता नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

श्रमिक शिविर स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण के दौरान वनभूमि पर किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। किसी भी श्रमिक को वनभूमि पर ठहरने/रात्रि विश्राम नहीं करने दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ईंधन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद चम्पावत में प्रधानमंमी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण के दौरान श्रमिकों के भोजन आदि हेतु गैस/कैरोसिन तेल की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी प्रकार से जंगल से लकड़ी नहीं दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

संलग्नक –

वन्य जीवों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंमी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

वनभूमि का उपयोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद चम्पावत में प्रधानमंमी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना में पस्तावित वनभुमि का प्रयोग मोटर मार्ग के निर्माण में ही किया जायेगा इसके अलावा भूमि का उपयोग किसी और उद्देश्य में नहीं किया जायेगा और न ही भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य संस्था या विभाग या व्यक्ति के पक्ष में ट्रान्सफर किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

सलग्नक-11

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंमी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में प्रभावित वनभूमि में विभिन्न प्रजाति के 304 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मोटर मार्ग के निर्माण में पूर्व प्रस्तावित वृक्षों का न्यूनतम छपान व कटान का कार्य किया जायेगा। आवश्यक एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही छपान व कटान किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

संलग्नक-12

मलबे के विस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंमी ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण परियोजना में प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा तथा मलवा पूर्व निर्धारित स्थल से अन्यत्र नहीं फेंका जायेगा।

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

पत्रांक सं0—
दिनांक— 14.08.18
फाईल मार्क— 83
संलग्नक – 13(1)

:: आदेश ::

अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन , सुभाष रोड , देहरादून के पत्रॉक— 8 बी/यू0सी0पी0/06/36/2018/एफ0सी0/619, दिनॉक 3.7.2018 के तहत, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 6.940 है0 वन भूमि के बदले 13.88 है0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम म्यूटेशन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, उप जिलाधिकारी पाटी द्वारा, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 , सिंचाई खण्ड, लोहाघाट से प्राप्त सिविल भूमि म्यूटेशन प्रस्ताव संलग्न कर, अपने पत्र संख्या— 576, दिनॉक 2.8. 2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उप जिलाधिकारी पाटी द्वारा प्रस्तुत भूमि प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:—

1— उक्त परियोजना हेतु ग्राम—गूम, प0क्षे0 पाटी, तहसील पाटी, जनपद चम्पावत के गैर ज0वि0 श्रेणी श्रेणी—9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के खाता संख्या— 64, खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0, खेत नं0 1887 , रकवा 6.041 मध्ये 5.84 है0, कुल 13.88 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि के पूरब में नाप भूमि, पश्चिम में सिविल भूमि ग्राम गूम , उत्तर में सिविल भूमि ग्राम गूम व दक्षिण में सिविल भूमि ग्राम गूम है।

2— प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक , श्मसानघाट, मन्दिर/ मस्जिद नहीं है।

3— प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।

4— प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

5— प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

उपजिलाधिकारी पाटी द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रॉक—8 बी/यू0सी0पी0/06/36/2018 /एफ0सी0/619, दिनॉक 3.7.2018 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी पाटी की उक्त संस्तुति के कम में, जनपद चम्पावत में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले, ग्राम —गूम, प0क्षे0 पाटी, तहसील पाटी के खाता संख्या— 64, श्रेणी—9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0, खेत नं0 1887 , रकवा 6.041 मध्ये 5.84 है0, कुल 13.88 है0 भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या—4743/सात— 5/व0भू0—भूमि हस्तॉ0/2016—17, दिनॉक अगस्त,14, 2018

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
आयुक्त, कुमाऊॅ मण्डल, नैनीताल ।
प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग , चम्पावत ।
उप जिलाधिकारी पाटी।
अधिशासी अभियन्ता , पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट ।
तहसीलदार पाटी को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि , स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम भू—अभिलेखों में नामान्तरण कर नियमानुसार हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

संलग्नक - 13(11)

उद्धरण खतौनी की नकल

परियोजना का नाम – जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के रीठा से कूंण मोटर मार्ग का निर्माण,

ग्राम ग्राम पट्टी पाटी तह० पाटी

क्र0	खाता संख्या	भूमिघर का नाम सर्वश्री	खेत नं0	कुल रकवा हे0	विवरण
1	64	श्रेणी 9(3)ड़ ब0का0अ0	2 3 कमशः 1885 1887 कमशः 7005 1692/ 7007	1.034 0.273 कमशः 8.040 6.041 कमशः 0.333 0.104	कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत के पत्रांक सं० 4743/सात-5/व०भू० -भूमि हस्ता०/2016-17, दिनांक 14 अगस्त 2018 के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत रीठा से कूंण मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 6.940 हे० वन भूमि के बदले ग्राम ग्राम पट्टी क्षेत्र पाटी तह० पाटी के खा० सं० 64 श्रेणी 9(3)ड. के खेत नं० 1885 रकबा 8.040 हे० खेत नं० 1887 रकबा 6.041 हे० मध्ये 5.840 हे०, कुल 13.88 हे० भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामांतरण किया। ह० अ० 21.3.19 पाटी
		योग	334	217.025	

महोदय,

असल से तैयार किया

C.S.

तहसीलदार पाटी

राजस्व उपनिरीक्षक तहसील-पाटी (चम्पावत) दिनांक